मानक पत्रावली

संकलन: हरिवंश लाल लूथरा



राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
NATIONAL INSTITUE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067
BABA GANG NATH ROAD, MUNIRKA, NEW DELHI-110067

अद्यतन परामर्शः श्री राजीव रंजन सिंह

अद्यतन सहयोगः श्री विजय प्रकाश उप्रेती

हिन्दी रूपांतरणः श्री बी.एस. नेगी

श्री अरविन्द कुमार

शब्द संसाधनः श्री चन्द्र सिंह नेगी

श्री जगदीश गुप्ता

श्रीमती महेश्वरी पटवाल

श्री वी.एस.रावत

आमुख

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में चल रहे सार्थक एवं गतिशील प्रयासों के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा स्टाफ सदस्यों की सुविधा के लिए उपयोगी पत्रों एवं टिप्पणियों के मानक प्रारूपों का यह द्विभाषिक संकलन तैयार किया गया है। इस संकलन में लगभग 40 संक्षिप्त पत्रों के मानक प्रारूप तथा लगभग 50 टिप्पणियों के नमूने हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संकलन के अंत में संस्थान के विभागों/ अनुभागों के नाम, भवन खण्डों के नाम तथा संस्थान में प्रयुक्त पदनाम भी हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ दिए गए हैं। इस संकलन में जिन पत्रों आदि के प्रारूप सम्मिलित किए गए हैं, वह मात्र निदर्श प्रारूप के रूप में हैं। चूंकि, प्रत्येक प्रकरण में विषय वस्तु एक जैसी नहीं होती, इसलिए प्रकरण की आवश्यकता के अनुसार अपने विवेक से इन प्रारूपों की विषय वस्तु में अपेक्षित परिवर्तन किए जा सकते हैं। प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए इस संकलन को संस्थान की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करा दिया गया है।

इस संकलन का अद्यतन करने के लिए हिन्दी कक्ष का यह प्रयास प्रशंसनीय है। हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

आशा है, यह संकलन संस्थान के संकाय एवं अन्य कर्मचारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(जयंत दास)

निदेशक

नई दिल्ली

सितम्बर

पत्रों के प्रारूप

संख्याःफा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांक:

संस्थान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में पदों का सृजन करने के बारे में संस्थान की उप- विधियों की उप-विधि 52 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और संस्थान के प्रबन्ध निकाय द्वारा अनुमोदित परियोजना संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप संस्थान के निदेशक द्वारा '							
क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अवधि			
1. 2. 3.	इस संबंध में होने वाले व्यय व	का वहन उपरोक्त परियो		क्रेया जाएगा। उप-निदेशक (प्रशा.)			
प्रेषितः							
	श्रीपिरयोजना) लेखापाल (परियोजना) लेखा अधिकारी श्री		5				

संख्याःफा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

कार्यालय आदेश

विभाग, जिसमें पद स्वीकृत किया गया है। क्रमांक वेतनमान पद का नाम 1. 2. 3. इस संबंध में होने वाले व्यय का वहन वर्ष से संबंधित संस्थान के गैर-योजना/ योजना बजट के 'वेतन तथा भत्ते' शीर्ष से किया जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके दिनांकः..... की अशासकीय टिप्पणी संख्याः..... के माध्यम से प्राप्त कर ली गई है। उप-निदेशक (प्रशा.) प्रेषितः विभागाध्यक्ष, विभाग, संस्थान। 1. लेखा अधिकारी 2. श्री भर्ती सहायक। 3.

संख्याः /प्रशा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067. दिनांकः परिपत्र के अंतर्गत संस्थान मेंमहीने/ वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक जो भी पूर्व प्रवृत हो, उस तिथि तक वर्ग 'ख' में सहायक अनुसंधान अधिकारी के निम्नलिखित पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: सहायक अनुसंधान अधिकारीः एक पद वेतनमान रू-----शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभवः अनिवार्य 1. 2. वांछनीयः अपेक्षित कार्यः आयु सीमाः 35 वर्ष टिप्पणी: उक्त पद के लिए सादे कागज पर भरा हुआ आवेदन, जिसमें शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव संबंधी विवरण सहित पूरा बायो-डाटा दिया गया हो और प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न की गई हों, हद से हद दिनांकः...... तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाना चाहिए। अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने विभाग में कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों की सूचना में लाने का कष्ट करें। प्रति प्रेषितःः

1. 2.

3.

4.

5.

1. 2. 3.

उप-निदेशक(प्रशा.)

रजिस्टर्ड/ए.डी

संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

सेवा में,	दिनांकः
रोजगार अधिकारी,	
विषयः पद की रिक्ति संबंधी सूचना -	
महोदय,	
मुझे, इस संस्थान के अंतर्गत के पद की रिक्ति की हेतु विधिवतढ़ंग से भरा हुआ फार्म आपको भेजने का निदेश हुआ है। अनुरोध है वि की अविध के भीतर कृपया इस संस्थान को उक्त पद के लिए पात्र उम्मीदवारों के एक सूची भेजने का कष्ट करें तािक उक्त पद हेतु उपयुक्त उम्मीदवार का चयन यिद उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो, कृपया इस संस्थान को एक 'अनुपलब्धत करने का कष्ट करें, तािक अन्य अनुज्ञेय स्रोतों के माध्यम से उपरोक्त पद पर भर्ती की	ह पन्द्रह/साठ दिन नाम तथा पते की किया जा सके। । प्रमाणपत्र' जारी
आपकी ओर से दिनांकःतक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न ह यह समझा जाएगा की इस रिक्ति को विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।	
	भवदीय,
सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः 1. 2.	प-निदेशक (प्रशा.)
ਰਾ	प-निदेशक (प्रशा.)

तत्काल/दस्ती

संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

सेवा में,

निदेशक विज्ञापन और दृश्य प्रचार-निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पी.टी.आई,भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

विषयः रास्वापक -- संस्थान में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन-

महोदय,

में एतद्द्वारा इस संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों की भर्ती हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप भेज रहा हूं। निवेदन है कि इसे यथाशीघ्र अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

- 1.
- 2.
- 3.
- 2. विज्ञापन के प्रारूप में उल्लिखित आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि इस प्रत्याशा में लिखी गई है कि यह विज्ञापन तत्काल ही समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया जाएगा।
- 3. इस विज्ञापन के भुगतान हेतु बिल की तीन प्रतियां यथाशीघ्र भेज दी जायें। पदों की भर्ती संबंधी उक्त विज्ञापन प्रकाशित करने वाले सभी समाचार-पत्रों को परामर्श दिया जाये कि संस्थान के रिकार्ड के लिए वह इस विज्ञापन की किटंग सीधे ही संस्थान को भेज दें।
- 4. इस विज्ञापन की अखिल भारतीय स्तर पर किन्तु यथाअपेक्षित कम से कम समाचार पत्रों में ही प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे वरीयता प्रदान करें।

भवदीय,

उप-निदेशक (प्रशा.)

प्रति प्रेषितः

1. केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, 2ए/3-कुन्दन मेन्सन बिल्डिंग, आसफअली रोड, नई दिल्ली- सूचनार्थ।

विज्ञापन र	संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी निकाय है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा सेवाओं के माध्यम से देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विकास की दिशा में एक शीर्षस्थ तकनीकी संस्थान के रूप में कार्य करना है।

संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद के लिए आ वेदन फार्म अनुभाग अधिकारी (प्रशा.-1), राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ मार्ग मुनीरका, नई दिल्ली-110067 से व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। डाक द्वारा फार्म मंगाते समय कृपया 9 x 4 आकार का लिफाफा (जिस पर आवेदक का पूरा पता लिखा गया हो) तथा रू............ का भारतीय पोस्टल आर्डर, जो संस्थान के लेखा अधिकारी के नाम ड्रा किया गया हो, साथ भेजने का कष्ट करें। आवेदन फार्म संस्थान की वेबसाइट www.nihfw.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है:

1.	पदनामः
2.	वेतनमानः रू
3.	शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभवः अनिवार्यः
	1.
	2.
	3.
	वांछनीय:

- 4. अपेक्षित कार्यः
- 5. आयु सीमाः.....

टिप्पणी:

- 1. सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों में कार्यरत आवेदकों को अपने आवेदन अनिवार्य रूप से उचित माध्यम से भेजने होंगे।

रजिस्टर्ड

संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांक:

_		_
-	ιч	ч
~,	• •	•

इस संस्थान के अंतर्गत	से . बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में
आवेदक से यह भी अनुरोध है कि वह अपनी जन्म तिथि, शैक्षिक के प्रमाणस्वरूप अपने मूल प्रमाणपत्र तथा शंसापत्र अपने साथ लाएं।	योग्यता और अनुभव आदि
बेरोजगार आवेदक को रेल यात्रा भाड़े संबंधी रसीद प्रस्तुत करने पर मार्ग से द्वितीय श्रेणी के दोनों ओर के रेल भाड़े का भुगतान इस शर्त पर कि के 250 कि.मी. की दूरी तक के भाड़े का वहन आवेदक द्वारा स्वयं किया ज	च्या जाएगा कि दोनों ओर
यदि आवेदक इस समय नौकरी में हो तथा उसका आवेदन इस संस् ाप्त न हुआ हो तो उसे अपने वर्तमान नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र अन्यथा उपरोक्त पद हेतु उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।	
कृपया इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के साथ-साथ साक्षात्कार में उप पुष्टि करने का कष्ट करें।	पस्थित होने के बारे में भी
	उप-निदेशक (प्रशा.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

7	Т	П	
-51		ч	•

इस संस्थान के अंतर्गत रू भर्ती के लिए साक्षात्कार लेने के लिए चय कोबजे कमरा नं में	न समिति की बैठक	
निदेशक महोदय द्वारा गठित की गई चयन स गया है। तद्नुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया ऊपर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।		
		उप-निदेशक (प्रशा.)

गोपनीय

संख्याः	प्रशा.	
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार	र कल्याण संस्थान,	
बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई	इ दिल्ली-110067.	
G		
		दिनांकः
सेवा में,		
विषयः पद को	भरने के विषय में।	
महोदय,		
मुझे आपका ध्यान इस संस्थान/अ	गपके दिनांक	के पत्र
संख्या		
अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि	पद को भरने के लिए	गठित की
गई चयन समिति की बैठक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परि		
दिनांकः को होनी निश्चित हुई है	•	
कृपया श्री की गोपनीय रि		
का कष्ट करें। कृपया इस मामले को अति वरीयता प्रदा		
		भवदीय,
	उप-निदेश	क (प्रशा.)
	दूरभाषः 26	, ,
	A 20	

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांक:

सेवा में,	
	सिविल सर्जन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नई दिल्ली।
विषयः	श्री/श्रीमती/कु./डा की स्वास्थ्य परीक्षा कराने हेतु -
महोदय,	
उनकी	श्री/श्रीमती/कु./डा. को इस संस्थान के को इस संस्थान के के पद पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा रहा है। अनुरोध है कि स्वास्थ्य परीक्षा करने का कष्ट करें तथा इस संबंध में अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र इस संस्थान को का कष्ट करें।
स्वास्थ्य	श्री/श्रीमती/कु./डा को निर्देश दे दिया गया है कि वह परीक्षा कराने हेतु तत्काल आपके कार्यालय में रिपोर्ट करें।
घोषणा-	आवश्यक घोषणा फार्म और स्वास्थ्य पत्र फार्म की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं। कृपया -पत्र आदि पर उनके हस्ताक्षर अपने सामने कराने का कष्ट करें।
	उप-निदेशक (प्रशा.)
	श्री/श्रीमती/कु./डाको प्रति प्रेषितः - उन्हें निर्देश दिया है कि अपनी स्वास्थ्य जांच कराने हेतु वह लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नई के सिविल सर्जन को तत्काल रिपोर्ट करें।

उप-निदेशक (प्रशा.)

रजिस्टर्ड

संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067...

दिनांकः

कार्यालय ज्ञापन

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारीः को इस संस्थान में रू....... पद पर नियुक्त के वितनमान में रू.......... पद पर नियुक्त के लिए प्रस्ताव किया जाता है। पद पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार अनुज्ञेय तथा भत्तों संबंधी नियमों के अंतर्गत समय-समय पर दी गई शर्तों के आधार पर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते ड्रा करने का भी हक होगा।

- 2. नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार होंगीः
 - (1) वर्तमान में यह पद अस्थायी है किन्तु इसके निरन्तर बने रहने की संभावना है।
 - (2) पद पर नियुक्ति होने की तिथि से कर्मचारी एक वर्ष/दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेगा।
 - (3) दोनों पक्षों अर्थात नियुक्त व्यक्ति अथवा नियुक्ति-प्राधिकारी की ओर से बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। किन्तु नियुक्ति- प्राधिकारी को ये अधिकार होगा कि वह नियुक्त-व्यक्ति को, नोटिस की पूरी अवधि के बदले में अथवा नोटिस की आंशिक-रूप से बची हुई अवधि के बदले में उस अनुज्ञेय वेतन तथा भत्तों के बराबर राशि का भुगतान करके उसकी सेवायें तत्काल रूप से समाप्त कर सकता है अथवा नोटिस की निश्चित अवधि समाप्त होने से पूर्व उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है। किन्तु परिवीक्षा काल में बिना कोई नोटिस दिये किसी भी समय नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
 - (4) सेवा संबंधी अन्य शर्तें समय-समय पर लागू संबंधित नियमों एवं आदेशों के अनुरूप शासित होगी।
- 3. इस नियुक्ति के साथ निम्नांकित शर्तें और जुड़ी हैं:
 - (1) आवेदक को निर्धारित फार्म में अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी, यदि आवेदक की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति से विवाहित है जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, तो इस नियुक्ति के साथ यह शर्त होगी कि इस बारे में उसे कानूनी छूट प्राप्त हो गई हो।

	(2)	सक्षम	चिकित्सा	प्राधिकारी	से	'आरोग्यता'	प्रमाणपत्र	प्रस्तुत	करना	होगा।
	(3)	निर्धारित होगी।	त फार्म (संत	गग्न) में उसे	भार	तीय संविधान	के प्रति नि	ष्टा/श्रद्धा	की शप	थ लेनी
	(4)	निम्नांवि (क) (ख) (ग) (घ) (च)	आयु प्रमाण निर्धारित प आवेदक के सम्बद्ध हो	ा तकनीकी 1-पत्र गर्म (संलग्न अनुसूचित ने के बारे मे	योग्य) में [:] जाति i निर्ध	ने होंगेः ता संबंधी डि चरित्र प्रमाण- 1/अनुसूचित उ पिरत फार्म में इने संबंधी प्रम	पत्र। जन जाति अ प्रमाणपत्र	न्य पिछड	ा वर्ग से	
4.		अथवा 1				दक केन्द्र स [्] में नौकरी कर				
5.	वपूर्ण सृ	्चना जा	ानबूझ कर व	खा ली गई	जाती	लत सिद्ध हो है, तो ऐसी अन्य कार्यवाई	स्थिति में उ	उसे नौकर्र	ो से हट	
यदि को उपरोक्त शर्तों पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार हो तो उसे अपनी स्वीकृति की सूचना तक अधोहस्ताक्षरी को भेज देनी चाहिए। आ वेदक से सूचना प्राप्त न होने पर अथवा निर्धारित तिथि तक आवेदक द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित न होने की स्थिति में इस नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द कर दिया जायेगा।										
	स्वास्थ्य	परीक्षा	कराने तथा/	अथवा संस्थ	थान मे	में ड्यूटी पर	उपस्थित हो	ने (ङ्यूटी	ज्वाइन	करने)

उप-निदेशक (प्रशा.)

के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

श्री/श्रीमती/कुमारीः.....

गोपनीय रजिस्टर्ड

संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

सेवा में,

महोदय.

निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारीः..... जिनके संबंध में संलग्न सत्यापन फार्म (तीन प्रतियां) में ब्यौरा दिया गया है वह इस संस्थान में पद के लिए आवेदक हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह प्रमाणित करें कि क्या आपके रिकार्ड में उक्त आवेदक के विरूद्ध कुछ ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जो आवेदक को संस्थान की सेवा में रखने के लिए अयोग्य सिद्ध करते हों, ताकि संस्थान द्वारा यह निश्चित किया जा सके कि क्या आवेदक नौकरी में रखने योग्य है अथवा नहीं है।इस संबंध में निवेदन है कि आवेदक की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया धारण की जायेगी, जिसके अनुसार किसी भी आवेदक को मात्र उसके व्यक्तिगत राजनैतिक विचारों के आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझा जायेगा, किन्तु ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त न करने के बारे में विचार अवश्य किया जायेगा जिनके अनिष्ठावान होने की संभावना हो तथा नियुक्ति होने पर उसमें जो विश्वास व्यक्त किया जाता है, अपने पद की हैसियत से उस विश्वास का दुरूपयोग किए जाने की संभावना हो। ऐसे व्यक्ति जो सक्रिय रूप से तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में संलग्न हो अथवा किसी ऐसे संस्था के सदस्य हो जिसका उद्देश्य हिंसक तरीकों के प्रयोग से समाज की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाना हो, उन व्यक्तियों को सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्त के लिए अयोग्य समझा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए केवल उसी आधार पर ही अयोग्य समझा जाये जब उसने वास्तव में ही किसी आपत्तिजनक गतिविधि अथवा कार्यक्रम में भाग लिया हो अथवा उससे सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहा हो। विशेष रूप से लोक सेवाओं के अंतर्गत सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित को अवांछनीय समझा जायेगा,

क. ऐसे व्यक्ति जो गैर कानूनी घोषित की गई किसी संस्था अथवा व्यक्ति (गैर-कानूनी घोषित होने की तिथि के पश्चात से) के सदस्य है अथवा से सम्बद्ध है, अथवा

- ख. जिन्होंने किसी ऐसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में भाग लिया है अथवा सम्बद्ध रहे हैं जिसका उद्देश्य;
- 1) संविधान-व्यवस्था भंग करना है,
- 2) संगठित रूप से हिंसा के माध्यम से कानून भंग करना अथवा उल्लघंन करना है।
- 3) भारत की प्रभुत्ता तथा अखण्डता अथवा राघ्ट्र के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुँचाना है, अथवा
- 4) धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा सामुदायिक भावनाओं के आधार पर जनता के विभिन्न वर्गों में घृणा तथा शत्रुता को बढ़ावा देना है।

आवेदक द्वारा 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अथवा जांच होने की तिथि से तीन वर्ष की अविध के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों में उसकी भागीदारी होने को इस बात का प्रमाण माना जायेगा कि उक्त आवेदक अभी भी सिक्रिय रूप से इन गतिविधियों में संलग्न है, बशर्ते कि इस अंतराल के बारे में उसके व्यवहार में किसी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन होने का ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किया जाये।

- 2. अनुरोध है कि रिपोर्ट भेजते समय यह उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाये कि क्या उपरोक्त जांच प्रक्रिया की दृष्टि से आवेदक सरकारी नौकरी हेतु उपयुक्त है और यदि आवेदक सरकारी नौकरी हेतु उपयुक्त नहीं है तो इस संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा भेजने का कष्ट करें। कृपया जांच परिणामों से हमें तत्काल किन्तु हद से हद छः सप्ताह की अविध तक अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3. आवेदक की शिनाख्त करने के बारे में भी कृपया कार्यवाही करें तथा शिनाख्त हो जाने पर आ वेदक की उपयुक्तता रिपोर्ट पर कृपया इस आशय का उल्लेख भी करें।

भवदीय.

उप-निदेशक (प्रशा.)

संलग्नकः यथापूर्व

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

निदेशव	p, राष्ट्रीय	स्वास्थ्य	एवं	परिवार	कल्याण	संस्थान	द्वारा
श्री/श्रीमतीः		को र	চ			के वेत	नमान में
नियमों के अंत							
अपराह्न से		माह/वर्ष की	ा अवधि	तक अथवा	आगामी आदेश	ग जारी होने	तक जो
भी पूर्व प्रवृत ह	हो उस तिथि व	तक			के पट	द पर पदोन्न	ति करके
तदर्थ आधार प	ार नियुक्त कि	व्या जाता है।	उनका	वेतन समान्य	नियमों के	अंतर्गत निय	त किया
जाएगा।							
उपरोव	त तदर्थ नियुवि	म्ति के फलस्वरू	ज्प उन्हें .			7	उक्त पद
पर नियमित रू	प से बने रहने	अथवा समाहृत	होने का	कोई अधिकार	नहीं होगा।		
						0.	
0 \0						उप-निदेशव	र्व्व (प्रशा.)
प्रति प्रेषितः							
	a Q /a Q - Q /—	- / 					
1.		5./डा					
2.		अनुभागाध्यक्ष •			. विभाग/अनुष	HIII	
3.	लेखा अधिका						
4.	0	कारी (भण्डार) ÷					
5.		वं अनुरक्षण अधि		_0 _3_			
6.	•			का व	याक्तक फाइल	ल । ज	
7.		ारिष्ठ वैयक्तिक ८०० २ ३००					
8.	उप-ानदशक	(प्रशा.) के वैया	क्तक सह	ायक			

फा.संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली की स्वीकृति से इस संस्थान के अंतर्गत के पद पर कार्यरत श्री/श्रीमती/कुमारी: के वेतनमान में नियमों के अंतर्गत समय-समय पर अनुज्ञेय अन्य सामान्य भत्तों सिहत दिनांक: पूर्वाह्न/अपराह्न से माह/वर्ष की अवधि तक अथवा किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर नियुक्त होने की तिथि तक अथवा आगामी आदेश जारी होने तक जो भी पूर्व प्रवृत हो उस अवधि तक के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता
है।
उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति को उक्त पद पर नियमित रूप से बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। उनका वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।
इस संबंध में होने वाला व्यय संस्थान के 'गैर-योजना बजट' से वहन किया जाएगा।
उनकी नियुक्ति विभाग/अनुभाग में की जाती है।
उप-निदेशक (प्रशा.)
प्रति प्रेषितः
1. श्री/श्रीमती/कु./डा
2. लेखा अधिकारी, संस्थान।
3. श्री/श्रीमती/कुमारीः की वैयक्तिक फाइल/सेवा पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियां करने तथा वेतन निर्धारित करने हेतु।
4. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, संस्थान।
5. निदेशक के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, रास्वापक संस्थान।
6. उप-निदेशक (प्रशा.) के वैयक्तिक सहायक, रास्वापक संस्थान।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के प्रबन्ध निकाय के अध्यक्ष की कृति से श्री/श्रीमती/डा./कुमारीःको
	के वेतनमान में नियमों के अंतर्गत समय-
सम	य पर अनुज्ञेय सामान्य भत्तों सहित रू के मूल वेतन मे
	ांकः पूर्वाह्न/अपनाह्न से के
	पर नियुक्त किया जाता है। उक्त पद पर नियुक्ति संबंधी उनकी सेवा-शर्तें वही होंगी, जिनका लेख इस संस्थान के दिनांकःके पत्र
	लेख इस संस्थान के दिनाकः के पत्र ह्याः में किया गया था।
ti e	લાઃ નાળવા ગવા ચા
	उपरोक्त पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि से
श्री/	श्रीमती/डा./कुमारीः
	परिवाधीन रहेंगे/रहेंगी।
	उप-निदेशक (प्रशा.)
_	
प्रति	प्रेषितः
	-2 (-2 - 2 (-)
	श्री/श्रीमती/कु./डार्च किर्माण्याच्या कर्मा केंद्राच्या कर्म किर्मा
	सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, रास्वापक संस्थान, नई दिल्ली।
3.	लेखा अधिकारी, रास्वापक संस्थान। चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच कर ली गई थी तथा उन्हें स्वस्थ पाया गया है।
4	श्री/श्रीमती/कु./डाकी वैयक्तिक फाइल।
	निदेशक के वरिष्ठवैयक्तिक सहायक
	उप-निदेशक (प्रशा.) के वैयक्तिक सहायक
	नियुक्ति रजिस्टर।
	मास्टर फाइल।
٥.	

गोपनीय

संख्याः राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांक:

•	4 1147
विषयः परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बारे में	
श्री/श्रीमती/कुमारी/डा	ागाध्यक्ष/ विरण के तिरपोर्ट कि परि उपयुक्त
उप-निदेशव	र्ज (प्रशा.)

संख्याः फा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांक:

आदेश

- 1. प्रोफेसर....., अध्यक्ष
- 2. प्रोफेसर....., सदस्य
- 3. श्री....., सदस्य
- 4. श्री....., सदस्य-सचिव
- 2. समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे:
 - 1. विभाग में स्वीकृत स्टाफ संख्या के परिप्रेक्ष्य में विभाग के वर्तमान कार्य भार की जांच करना तथा उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां सुदृढ़ीकरण/परिवर्तन की आवश्यकता हो।
 - 2. इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना।

विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए सिमति द्वारा समीक्षा प्रक्रिया स्वयं निर्धारित की जाएगी। सिमति को ऐसी सभी सूचनाएं, जो समय-समय पर अपेक्षित हों, संबंधित विभागाध्यक्ष से मांगने का अधिकार होगा। संबंधित विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी ऐसी सभी सूचनाएं जो अपेक्षित हों, सिमति को प्रस्तुत करेंगे।

यह समिति, इस आदेश के जारी होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

उप-निदेशक (प्रशा.)

प्रेषितः

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांक:

अनापत्ति प्रमाण पत्र

,	प्रमाणित	किया	जाता	है	कि	۶	थ्री/श्रीमती/डा	ा./कुमारीः			
दिनांक		किया	से	इस र	संस्थान	में '	र ू				के
		के द्वारा					का व	रौरा कराने	के लिए पा	सपोर्ट	प्राप्त
करने पर	कोई अ	गपत्ति नहीं है,	, बशर्ते वि) :							
7	,	वह किसी वि करेगा/करेगी		गर/नि	ोकाय/सं	गठ	न आदि से व	क्रोई वित्तीय	ा सहायता प्र	ाप्त नह	हीं
7	,	वह वहां कोई पारिश्रमिक प्र				रेगा	/करेगी अथव	ग्रा किसी ए	जेन्सी से को	ई	
-		उपरोक्त उद्देः प्रयोजन हेतु हेतु नहीं किर	यह प्रमाण	पत्र ज	• •		•				
7	,	वह किसी ऐर संबंध न हों।	से देश का	दौरा	नहीं क	रेगा	ा/करेगी, जि	सके साथ १	नारत के राज	नयिक	
		ामाणपत्र १ इ पर जारी वि		•	कुमारीः	••••					के
									उप-निदेश	क (प्रः	शा.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

कार्यालय ज्ञापन

श्री/श्रीमती/कुमारीः को उनके
दिनांकः के पत्र के संदर्भ में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा
प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोाजनक नहीं पाया गया है। उन्हें मौखिक रूप से बार-बार चेतावनी
दिए जाने के बावजूद भी कार्यालय में उपस्थिति संबंधी उनके आचरण में कोई सुधार नहीं देखा जा
सका है तथा उन्हें बार-बार बिना पूर्व अनुमित लिए छुट्टी करने की आदत है। एतद्द्वारा उन्हें चेता
वनी दी जाती है कि उन्हें अपनी उपस्थिति में सुधार लाना चाहिए, अन्यथा उनके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उप-निदेशक (प्रशा.)
उप-1नदशक (प्रशा.)
सूचनार्थ प्रति प्रेषितः
1.

2.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

कार्यालय आदेश

सभी स्टाफ सदस्यों का ध्यान संस्थान के दिनांक के कार्यालय आदेश संख्याः की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सभी कार्य दिवसों में लंच का समय 1.00 से 1.30 बजे अपराहन तक होगा। फिर भी यह देखा गया
है कि कुछेक कर्मचारी 1.45 बजे अपराह्न के पश्चात भी लॉन में टहलते रहते हैं। तद्नुसार उन्हें निर्देश दिया जाता है कि लंच समय की निर्धारित अविध का कड़ाई से पालन करें तथा लंच की अविध के तत्काल पश्चात उन्हें अपनी सीट पर होना चाहिए।
विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से भी अनुरोध है कि समयनिष्ठा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का कप्ट करें।
उप-निदेशक (प्रशा.)
सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः
1.
2.
3. 4.
딱.

5.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

ज्ञापन

श्री को एतद्द्वारा सूचित किया
जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 16
के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया है। अनाचरण अथवा दुर्व्यवहार संबंधी
आरोपों का विवरण, जिसके आधार पर उपरोक्त कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया है, यहां
. संलग्न है।
2. श्री को एतद्द्वारा एक अवसर प्रदान किया
जाता है कि यदि वह चाहें तो उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध अभिवेदन कर सकते हैं।
3. यदि उक्त श्री इस ज्ञापन के प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर
अपना अभिवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो यह समझा जाएगा कि उन्हें कोई अभिवेदन
प्रस्तुत नहीं करना है तथा श्री के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
करके आदेश जारी किया जा सकेगा।
4. श्री द्वारा इस
ज्ञापन की पावती भेजी जानी चाहिए।
हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी का पदनाम
प्रति प्रेषितः
UPIK DIK
श्री

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

आदेश

जबिक केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत श्री के विरुद्ध जांच की जा रही है।
और जबिक अधोहस्ताक्षरी यह समझते हैं कि उनके विरूद्ध लगाये आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।
इसलिए, अब उक्त नियम के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग हुए अधोहस्ताक्षरी श्री पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए, श्री को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।
हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी का पदनाम प्रति प्रेषितः
 श्री

संख्याःफा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है कि श्री के विरूद्ध आरोपों की जाँच करने के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जाँच रिपोर्ट की एक प्रति यहां संलग्न करें।
2. पूर्वोक्त जांच रिपोर्ट पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात, अधोहस्ताक्षरी जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों से सहमत हैं तथा अधोहस्ताक्षरी के विचार से लगाया गया/गए आरोप सिद्ध हो गया है/गए हैं। इसलिए अधोहस्ताक्षरी इस अनन्तिम निर्णय पर पहुँचे हैं कि श्री
3. श्री
4. इस ज्ञापन की पावती भेजी जानी चाहिए।
हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम
श्री

फा.संख्याः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067..

दिनांकः

आदेश

	श्री के विरूद्ध गर्यवाही करना अपेक्षित है/चल रही है।
वली, 1965 के	ए अब अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमा नियम 10 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा को तत्काल रूप से निलम्बित करते हैं।
अवधि के दौरान	अतिरिक्त यह आदेश भी दिया जाता है कि जब तक उक्त आदेश लागू रहेंगे उस न उक्त श्री का मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा और उक्त अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमित प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोडेंगे।
	हस्ताक्षर निलम्बनकर्ता प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम
प्रति प्रेषितः	
1.	श्री निलम्बन की अवधि के दौरान उन्हें अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के बारे में आदेश, अलग से जारी किए जाएंगे।
2.	
3.	

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

आदेश

	जबिक श्री को इस संस्थान के को इस संस्थान के के समसंख्यक आदेश के माध्यम से निलम्बित करने का आदेश ताक्षरी द्वारा जारी किया गया था।
	अतः अब केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम उप-नियम 5 के खण्ड (सी) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा न के उक्त आदेश को तत्काल रूप से रद्द किया जाता है।
प्रति प्रेर्ग	हस्ताक्षर आदेशकर्ता प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम षेतः
1. 2. 3.	श्री(निलम्बित अधिकारी)


हस्ताक्षर

आदेशकर्ता प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

ज्ञापन



5. श्री का ध्यान केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,
1964 के नियम 20 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी,
सरकारी सेवा के अंतर्गत अपनी नौकरी के संबंध में निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने किसी
भी बरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई भी राजनैतिक अथवा बाह्य प्रभाव नहीं डलवाएगा या डलवाने का प्र
ायत्न करेगा। यदि इस कार्यवाही से संबंधित मामले के बारे मे उनके पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति से
कोई अभिवेदन प्राप्त होता है तो यह समझा जाएगा कि श्री उक्त अभि
वेदन से अवगत हैं और यह अभिवेदन उनके सुझाव पर किया गया था तथा इस प्रकार केन्द्रीय सिविल
सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 का उल्लंघन करने के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही
की जाएगी।
6. इस ज्ञापन की पावती भेजी जाए।
हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम

	\sim	\sim		
पा	रा	शि	ष्ट-	1
	• • •		_	

	श्री (सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम) के विरूद्ध लगाये गए आरोपों संबंधी विवरण।
	आरोप धारा-1
	उक्त श्री नेअवधि के पद पर कार्य करते
	आरोप धारा-2
श्री	ऊ पर कथित अवधि में तथा उपरोक्त कार्यालय में कार्य करते हुए उक्त ने
	आरोप धारा-3
4 0	ऊ पर कथित अवधि में तथा उपरोक्त कार्यालय में कार्य करते हुए उक्त

		∞	
पा	₹	19	ष्ट-2

श्री	
	(सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम)
के विरूद्ध अनाच	रण अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लगाए गए आरोपों के समर्थन में विवरण।

आरोप धारा-1

आरोप धारा-2

आरोप धारा-3

परिशिष्ट-3

	श्री
	(सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम)
के	विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले
	प्रस्तावित दस्तावेजों की सूची:

1.
 2.
 3.
 4.

परिशिष्ट-4

श्री	
(सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम)	
के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावित गवाहों	की
सूची:	

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

दिनांकः

विषयः	राष्ट्रीय	स्वास्थ्य	एवं	परिवार	कल्याण	संस्थान	के	प्रबन्ध	निकाय	की	आगामी	बैठक	के	संबंध
	में तिथि	तथा स	ामय	निश्चित	ा करने हे	तु अनुरे	धः							

प्रबन्ध निकाय की बैठक के आयोजन के संबंध में संस्थान की वर्तमान उप-विधियों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि संस्थान के कार्य-संचालन के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार कितनी भी बैठकें बुलाई जा सकती हैं, किन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। नियमों में एक यह प्रावधान भी किया गया है कि बैठक के लिए स्थान, तिथि तथा समय का निर्धारण अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा और प्रबन्ध निकाय की बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देना आवश्यक है। प्रबन्ध निकाय की पिछली बैठक दिनांकः................................. को हुई थी। तब से लेकर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मामले इकट्ठे हो गए हैं जिन पर प्रबन्ध निकाय द्वारा तत्काल विचार करना अपेक्षित है।

- 3. तद्नुसार प्रबन्ध निकाय के अध्यक्ष (केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री) महोदय से अनुरोध है कि प्रबन्ध निकाय की आगामी बैठक आयोजित करने हेतु स्थान, तिथि तथा समय निश्चित करने का कट करें। उक्त प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त होने की स्थिति में यह भी सुझाव है कि बैठक का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के परिसर में ही किया जाए।

	\sim	_		
- 1	1	7	91	do.
	,	ч	`'	4,

उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निकाय, रास्वापकसं(सचिव,	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
अध्यक्ष, प्रबन्ध निकाय, रास्वापक संस्थान (वे	नेन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
·	
रास्वापकसं अ.टि. संख्या	. दिनांकः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

संस्थान के प्रबन्ध निकाय के विचारार्थ अनन्तिम कार्यसूची

प्रबन्ध निकाय के निवर्तमान सदस्यों द्वारा प्रदत्त प्रशंसनीय सेवाओं को रिकार्ड करना तथा नए 1. सदस्यों का स्वागत दिनांकः..... को आयोजित प्रबन्ध निकाय की पिछली बैठक के कार्यवृत की 2. {ÉÉÎÞ] करना। दिनांकः..... को आयोजित पिछली बैठक में प्रबन्ध निकाय द्वारा लिए गए 3. निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा। वर्ष के लिए संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान 4. परियोजिनाओं/मूल्यांकन अध्ययनों तथा अन्य गतिविधियों का अनुमोदन करना। योजना तथा गैर-योजना बजट शीर्षों के अंतर्गत वर्ष...... से संबंधित परिशोधित 5. बजट और वर्ष से संबंधित बजट आंकलन का अनुमोदन करना। 6. 7.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ कोई अन्य विषय।

8.

संख्याः/No.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली-110067. NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY WELFARE, NEW DELHI-110067

			तिथि/Dated:
		आदेश/ORDER	
	क, राट्रीय	रा श्री व । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा उन्हें र	कूटर/कार खरीदने के लिए
		(रने संबंधी स्वीकृत प्रदान कर दी गई है।) अग्रिम राशि के
Rs Car/S	(o Sh) for the purchase of a
2.		राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तों पर होगाः dvance is subject to the following conditions:	
	1.	यह अग्रिम राशि मासिक किश्तों में किश्त रू की होगी तथा इस राशि पर की पूरी वसूली के पश्चात, एक या एक से अधिव The amount of advance will be recover Rs each and interest being or more instalments, after the recovery of a	र देय ब्याज की कटौती, अग्रिम राष्टि क किश्तों में की जाएगी। able in monthly instalments of calculated and recovered in one
	2.	अग्रिम राशि को प्राप्त करने की तिथि से एक म किया जाएगा, जिस प्रयोजन हेतु इसे प्राप्त किय करने की तिथि से एक माह की अवधि की समार्षि ब्याज सहित कुल राशि लेखा अनुभाग को वापिस	ा गया था, अन्यथा अग्रिम राशि प्राप्त प्ते पर अग्रिम राशि तथा उस पर देय
	The ar	mount of advance will be spent for the purp within one month of drawal of advance, fa advance together with interest calculated Accounts Branch immediately on the expir of advance.	oose for which it was sanctioned iling which the entire amount of thereon will be refunded to
	3.	अग्रिम राशि की वसूली, उसके प्राप्त करने के प जाएगी।	ाश्चात मिलने वाले वेतन से शुरू की
	The re	ecovery of advance will commence with the the advance is drawn.	e first disbursement of pay after

	4.	वाहन खरीदने की तिथि से इसका व्यापक बीमा कराना होगा तथा इसकी बीमा पालिसी प्रशासन अनुभाग को जांच के लिए प्रस्तुत करनी होगी। पॉलिसी का न वीनीकरण समय-समय पर तब तक कराते रहना होगा जब तक अग्रिम राशि की ब्याज सिहत पूरी वसूल नहीं कर ली जाती। The car/scooter will be got insured comprehensively from the date of purchase and Insurance policy shown to Admn. for verification. The policy will be renewed from time to time till advance together with interest has been repaid in full.
	5.	उक्त अग्रिम राशि से खरीदा गया स्कूटर/कार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान से प्राप्त पूर्वानुमित के बिना नहीं बेचा जाएगा। The car/scooter purchased out of this advance will not be sold without prior permission of the National Institute of Health & Family Welfare.
;	अनुदान	की राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के वर्ष के के 'वसूली योग्य अग्रिम' लेखा शीर्ष से देय होगी। vance is debitable to National Institute of Health & Family Welfare grant for under head 'Advances Recoverable'.
प्रति प्रेषि	ਜ/Cop	Deputy Director (Admn.) y to:-
 3. 4. 	लेखा अ Accoun प्रशासन श्री/सुर्श्र	l/डा./Sh./Ms/Dr धिकारी, रास्वापकसंस्थान - कृपया अग्रिम राशि के भुगतान का प्रबन्ध करें। nts Officer, NIHFW – Please arrange disbursement of advance. अनुभाग-1/Admn.1 Section. l/डा की वैयक्तिक फाइल al file of Sh./Ms/Dr

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली-110067. NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY WELFARE, NEW DELHI-67

दिनांकः

Dated:

आदेश/ORDER

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी/डा को सूचित किया जाता है कि
निदेशक/उप-निदेशक (प्रशा.) द्वारा नियमों के नियम 12 () के अन्तर्गत उन्हें अपने
अंशदायी सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या से
रूपये की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की
गई ताकि वह के उपलक्ष्य में खर्चा कर सकें।
Sanction of the Director/DD(Admn.) is hereby accorded under Rule 12 () of GPF
(CS) Rules, 1960 for the grant of advance of
Rs. (Rupees) to
Sh./Smt./Miss/Dr. from his/her G.P.F. Account
Rs(Rupees
·
2*. इस अग्रिम राशि की वसूली मासिक किश्तों में रू प्रति
किश्त की दर से की जायेगी तथा किश्तों की वसूली मास से संबंधित वेतन,
जिसका भुगतान माह, 200 में किया जायेगा से शुरू की जायेगी। /The advance
will be recovered in monthly instalments of
Rs. each, commencing from the salary for the month of
payable in
·
3*. इससे पूर्व उन्हें अग्रिम के रूप मेंमाह, 200 में स्वीकृति तथामाह,
200 में दी गई रू की अग्रिम राशि से अभी नीचे दिया गया है, की कटौती शुरू होने
तक बकाया समझा जायेगा। यह राशि तथा अग्रिम के रूप में अब दी जाने वाली राशि जो कुल
The state of the s
9
रू प्रति किश्त की दर से
रू प्रति किश्त की होती है, की वसूली रू प्रति किश्त की दर सेमासिक किश्तों में की जायेगी तथा किश्तों की वसूली माह, 200 से संबंधित वेतन से
रू प्रति किश्त की दर से प्रति किश्त की दर से मासिक किश्तों में की जायेगी तथा किश्तों की वसूली माह, 200 से संबंधित वेतन से जिसका भुगतान माह, 200 में किया जायेगा से प्रारम्भ की जायेगी। /A sum of
रू प्रति किश्त की दर से प्रति किश्त की दर से मासिक किश्तों में की जायेगी तथा किश्तों की वसूली माह, 200 से संबंधित वेतन से जिसका भुगतान माह, 200 में किया जायेगा से प्रारम्भ की जायेगी। /A sum of
रू प्रति किश्त की होती है, की वसूली रू प्रति किश्त की दर सेमासिक किश्तों में की जायेगी तथा किश्तों की वसूली माह, 200 से संबंधित वेतन से
रू की होती है, की वसूली रू प्रति किश्त की दर से मासिक किश्तों में की जायेगी तथा किश्तों की वसूली माह, 200 से संबंधित वेतन से जिसका भुगतान माह, 200 में किया जायेगा से प्रारम्भ की जायेगी। /A sum of Rs (Rupees
रू की होती है, की वसूली रू प्रति किश्त की दर से

4.	दिनांकः	7	के			अनु	सार
श्री/श्रीग	नती/कुमारी/डा			के खाते	में शेष	राशि	का
ब्यौरा	- निम्नलिखित है।/ The	balance	at	the	credi	t	of
Sh./Sn	nt./Miss/Dr	is detailed bel	ow:				
(1)		शेष रू./Rs	S				
(-)	Balance as per account slip for	-					
(2)	रू प्रतिमाह दर से बाद						
रू./Rs.	 में जमा राशि तथा अग्रिम वसूली						
	में जमा राशि तथा अग्रिम वसूली						
	Subsequent deposits and						
	Refunds of advance at the rate						
	p.m. from to						
(3)	कालम(1) तथा (2) का योग	रू./Rs					
	Total of Col.(1) & (2)						
(4)	अनुवर्ती अग्रिम, यदि कोई हो तो	रू./Rs					
	Subsequent withdrawal, if any.						
(5)	स्वीकृति की तिथि को शा राशि	रू./Rs					
	कालम (3) - (4)						
	Balance as on date of sanction						
	Col. $(3) - (4)$						
			}	~ 16~ 1 (O.CC	
٠.	(D)		લહા	अधिकारी//	Account	SOII	icer
	/Dated:						
प्रेषित/							
1.	बिल अनुभाग, आवश्यक कार्यवाही हेतु						
	Bill Section for necessary action						
2.	श्री/श्रीमती/कुमारी/डा						
2	Shri/Smt./Miss/Dr की :	_ ana					
3.							
	Personal file of Sh./Ms/Dr						
*	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ia mak a1:- 1	1.				
"जा ली	गू न हो उसे काट दें/Strike out whichever	is not applicab	ie.				

संख्याः राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (लेखा अनुभाग)

दिनांकः

आदेश

											संस्था•	
श्री/श्रीम	ाती/कु	मारी/डा						को,	सामान्य	भविष्य	निधि नि	ायमावली,
1979	के	नियम	15	() ਰ	के अंत	र्गत,	अपने	सामा	न्य भवि	ोष्य निधि	ो खाता
संख्याः.					से							उद्देश्य
हेतु											रू	
(रूपये									ठी राशि	आहरित	करने की	स्वीकृति
् प्रदान व								,				C
											लेखा	अधिकारी
1.	श्री/श	ग्रीमती/कु	मारी/डा	Ī								_
••							की ति	 थिके	तीन म	 ास के र्भ	ोतर इस	आश्य का
संतोषज	_			_							ग का उपर	
					_					-	। पर उन्हें	
	_	ग्रापिस ज				(11(1))	-	1 12	-111 331	1 1 400	11.00	6
94191 (.1.1(1 \	4114(1 01	11 47	rii Qirii	1							
2.	वित्र	अनुभाग,	गाउना।	المدنيجي	ਜ ਜੁਣ	ا المحما	ı					
۷.	19(1	ઝ ાુનાન,	रारपार	नपरत स्था	`i, `i\	्राप्एला	ı					
3.	ਹਾੜਾ	प्रमा अधिक	ਾ\ ਦਿਜ ਼	гөн \ / ээ г	गावाग .	/ of /of	मनी /त	, तिप	<i>ਜ</i>			
ა.	Ο.	_	•			/ স।/স।	નતા/વૃ	ארו דוי	91			
	dol d	यिक्तिक	পাহ্প	फ ।लए	1							

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

\sim	•
दिन	ाकः

तारः स्वस्थ परिवार

सेवा में,

विषयः अस्पताल प्रशासन विषय पर दिनांक...... से दिनांकः...... तक वाँ पाठ्यक्रम

महोदय,

आप इस बात से परिचित ही हैं कि विष्ठ स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रशासकों को प्रबंधकीय प्रक्रियाओं, शैक्षिक टेक्नालॉजी, संचार रणनीति आदि में प्रशिक्षित करने का दायित्व इस संस्थान पर है। उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विष्ठ स्वास्थ्य प्रशासकों के लिए इस संस्थान द्वारा दिनांकः...... की अवधि में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपके अनुशीलन हेतु इस पत्र के साथ पाठ्यक्रम से संबंधित परिचयात्मक सामग्री भी संलग्न है, जिसमें पाठ्यक्रम के औचित्य, उद्देश्यों तथा कार्यपद्धित आदि संबंधी विवरण दिया गया है।

अनुरोध है कि इस पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु दो अधिकारियों को नामित करने का कट करें। इस पाठ्यक्रम हेतु अपने नामांकन कृपया संस्थान के प्रोफेसर एवं ित्रभागाध्यक्ष विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, न्यू महरौली रोड, मुनीरका, नई दिल्ली-110067. को दिनांकः तक भेजने का कष्ट करें। यदि आप नामांकन यथाशीघ्र भिजवा सकें तो प्रतिभागियों के साथ इस संबंध में आवश्यक सम्पर्क स्थापित करने में हमें बहुत सुविधा होगी।

इस पाठ्यक्रम के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। किन्तु इस संबंध में प्रतिभागियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकार/ प्रायोजक संगठन द्वारा किया जाएगा।

प्रशिक्षण काल के दौरान प्रतिभागियों के ठहरने तथा भोजन आदि की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के हॉस्टल में निर्धारित दरों पर की जा सकती है।

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए यदि आप अपने प्रतिभागियों को नामित करने हेतु आवश्यक कार्य वाही शीघ्र करा सकें तो बहुत आभारी हूंगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,

पाठ्यक्रम निदेशक

<u>प्रस्तावना</u>

<u>भाग -</u>	<u>'क'</u>	
1.	पाठ्यक्रम का नाम :	पाठ्यक्रम
2.	प्रतिभागी/कार्मिक वर्ग :	से सीधा संबंध रखने वाले वरिष्ठ स्तरीय चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी।
3.	नामित किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या :	दो से तीन
4.	पाठ्यक्रम अवधि :	से
5.	आयोजन-स्थल :	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाब गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.
6.	नामांकन की अंतिम तिथि :	
<u>भाग- 'र</u>	<u>ख'</u>	
1.	औचित्यः	
2.	उद्देश्य :	पाठ्यक्रम के सत्रावसान पर प्रतिभागियों को निम्नलिखित कार्यों को स्वयं सम्पन्न करने के लिए सक्षम बनाना हैः
		(1) (क)
		(명) (2) (3)
3.	प्रमुख पाठ्य विषयः	(1) (2)
4.	शिक्षण-पद्धतिः	(1) व्याख्यान-चर्चा (लेक्चर डिस्कशन)(2) ग्रुप -कार्य(3) क्षेत्र-दौर(4) संगठनात्मक व्यवहार प्रयोगशाला

	दिनांकः
सेवा में,	
विषयः	विषय पर दिनांक सेदिनांकतक आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए अधिकारियों के नामांकन।
महोदय,	
अधिका	उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांकः के पत्र संख्याःर्भ में निवेदन है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु आप द्वारा नामित निम्नलिखित दोनों रियों का नामांकन इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य सरकार भी इस संबंध ो औपचारिक अनुमति प्रदान कर दे :
	1. 2.
शिक्षण- में रहने है। कृ	राज्य सरकार से औपचारिक अनुमित जारी होने के पश्चात, कृपया दोनों अधिकारियों को दें कि वे रिजस्ट्रेशन हेतु दिनांक:
प्रति प्रेर्ग	
	1.
	2.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

		दिनांकः	
* बेबाकी	प्रमाणपत्र *		
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीसंस्थान की सेवा से सेवानिवृत होंगे, के पास संस्थ	.जो दिनांकः		
श्री,			अनुभाग अधिकारी
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः 1. लेखा अधिकारी, रास्वापकसंस्थान	I		

2. भण्डार अधिकारी, रास्वापकसंस्थान।

दिनांकः
ज्ञापन
एतद्द्वारा डा को सूचित किया जाता है कि दिनांक: को
आयोजित की जाने वाली निम्नलिखित बैठक/सम्मेलन/कार्यशाला/सेमीनार में भाग लेने हेतु निदेशक द्वारा उन्हें अनुमित प्रदान कर दी गई हैः
संस्थान द्वारा उन्हें यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उपरोक्त उद्देश्य हेतु कार्यालय से उनकी अनुपस्थिति को कार्य पर 'ड्यूटी' के रूप में समझा जाएगा। उक्त उद्देश्य के लिए प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक निदेशक की पूर्व अनुमित से स्वीकार किया जा सकता है। पारिश्रमिक प्राप्त होने अथवा न होने के संबंध में सूचना दौरा समाप्त होने की एक सप्ताह की अविध के अन्दर लेखा अनुभाग के साथ-साथ अकादिमक अनुभाग को भी भेजी जानी चाहिए।
उप-निदेशक (प्रशा.) प्रति प्रेषितः 1. 2.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

सेवा में,	दिनांकः
विषयःदर सूची।	
महोदय,	

> भण्डार अधिकारी कृते निदेशक, रास्वापक संस्थान

क्रमांक	सामग्री का नाम तथा विवरण	अपेक्षित मात्रा	लेखांकन इकाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

आपूर्ति की प्रमुख शर्तें

- 1. किसी भी निविदाकार द्वारा इस दर पूछताछ का उत्तर देने पर यह समझा जाएगा कि निविदाकार इस प्रलेख में दी गई शर्तों से सहमत है। सफल निविदाकार के साथ अलग से कोई अनुबन्ध नहीं किया जाएगा, इसलिए इस दस्तावेज में उल्लिखित शर्ते उक्त सफल निविदाकार पर भी अधिमान्य होंगी। सशर्त निविदाएं रद्द की जा सकती हैं। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में इस संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अधिमान्य होगा।
- 3. ऐसी स्थिति में जब दरें एक से अधिक पृष्ठों में लिखी गई हों, तो प्रत्येक पृष्ठों पर आपके हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिएं। जिन मदों की दरें आप नहीं दे सकते, उन मदों के सामने कृपया '' दरें नहीं लिखी गई'' लिखने का कष्ट करें। बिना हस्ताक्षर की गई दरों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 4. किसी भी अंक अथवा शब्द को काट छांट करके नहीं लिखा जाना चाहिए। जिन शब्दों अथवा अंकों में काट-छांट करने की आवश्यकता हो कृपया उन्हें दुबारा लिख कर उन पर अपने हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं। जिन दर सूचियों में इस शर्त को पूरा नहीं किया जाएगा, उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 5. दर सूची में दी जाने वाली दरें शुद्ध प्रति इकाई के आधार पर दी जानी चाहिएं तथा इसमें पैकिंग और इन मदों की डिलीवरी संस्थान के भण्डार अनुभाग, अकादिमक ब्लॉक, न्यू महरौली रोड, मुनीरका, नई दिल्ली-110067. में करने संबंधी सभी प्रकार का प्रभार आदि भी सम्मिलित होना चाहिए। जो सामग्री आपूर्ति के लिए प्रस्तावित की जाती है उसकी श्रेणी, जैसे सामग्री आयातित है अथवा स्वदेशी, उसका मेक तथा टाइप और सामग्री से संबंधित पूर्ण ब्यौरा विस्तार से दिया जाना चाहिए। निविदाकारों को आयात-लाइसेंस आदि के बारे में संस्थान से कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकेगी।
- 6. इस दर पूछताछ में दरें, प्रत्येक मद के सामने स्याही में स्पट रूप से लिखी जानी चाहिएं, तािक उन्हें ठीक ढंग से पढ़ा जा सके। दर सूची में संबंधित मद का पूरा विवरण, आकार-प्रकार आदि दिया जाना चाहिए। तकनीकी विवरण तथा रेखाचित्रों के विवरण संबंधी पुस्तिकाएं दर-सूची के साथ ही संलग्न की जानी चाहिएं।
- 7. जिन मदों पर बिक्री कर/सामान्य कर जहां वैध रूप से लगता हो तथा जिनमें क्लेम किया जाना हो, उन मदों की निवेदित दरों के सामने बिक्रीकर/सामान्य कर आदि का स्पष्ट रूप से अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां ऐसा नहीं किया जाता, वहां किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी आधार पर बिक्रीकर/सामान्य कर संबंधी उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 8. इस दर पूछताछ के प्रत्युत्तर में निवेदित दरें आगामी वी के मार्च महीने के अंतिम दिन तक वैध रहेंगी। इस अविध में निविदाकार के पक्ष में संस्थान से समय-समय पर प्राप्त (किन्तु कार्य के अंतिम दिन तक) ऐसी आपूर्ति आदेशों को स्वीकार करना बाध्यकर होगा, जो आपूर्ति आदेश निविदाकार द्वारा निवेदक दरों तथा सामग्री की निवेदित मात्रा के अनुसार अथवा बढ़ी हुई मात्रा में अपनी आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए संस्थान द्वारा भेजे जाते हैं। संस्थान की समिति द्वारा निविदाएं खोलने के पश्चात से उक्त वर्ष की अविध में निवेदित दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि संबंधी किसी भी अनुरोध पर न तो कोई विचार ही किया जाएगा और न ही वृद्धि करने की अनुमित दी जाएगी।
- 9. आप द्वारा निवेदित दर सूची के आधार पर आपसे जब भी सैम्पल मंगाए जाएँ, तो निर्धारित तिथि तक पूरे ब्यौरे के साथ मुहरबन्द सैम्पल तुरन्त भिजवाए जाने चाहिएं। ऐसा न करने पर आपकी दर सूची पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 10. जैसे ही सफल निविदाकार को निविदा के स्वीकृत होने के बारे में सूचित किया जाता है, तत्काल ही संविदा को पूर्ण रूप से प्रवृत हुआ समझा जाएगा तथा निविदाकार इस दस्तावेज में दी गई शर्तें, जो निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा प्रवर्तित होंगी, का पालन करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकार के साथ अलग से कोई नई अथवा नियमित संविदा नहीं लिखी जाएगी।
- 11. इस दर-पूछताछ में वस्तुओं की उल्लिखित मात्रा केवल अनुमानित आवश्यकता के आधार पर दी गई है तथा आपूर्ति आदेश देने के समय आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जब तक यह दरें लागू रहती हैं, उस अविध में सफल निविदाकार, इस संस्थान द्वारा दिए गए इस प्रकार के आपूर्ति आदेशों को स्वीकार करने तथा अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
- 12. प्रत्येक सफल निविदाकार को बयाने के रूप में सामग्री रू...... की राशि निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली-110067. के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी।
- 13. कृपया यह नोट करने का कष्ट करें कि आपूर्ति आदेश में उल्लिखित डिलीवरी की तिथि का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। यदि किन्हीं विशेष कारणों से निर्धारित अविध में सामग्री की डिलीवरी नहीं की जा सकी हो तो, डिलीवरी की अविध बढ़ाने हेतु आवेदन, जिसमें आवश्यक कारणों का ब्यौरा दिया गया हो, पर्याप्त समय पूर्व दिया जाना चाहिए। संस्थान के निदेशक के विवेकाधिकार से डिलीवरी की अविध बढ़ाने की अनुमित प्रदान की जा सकती है, अथवा वह अपने विवेकाधिकार से आपूर्ति आदेश रद्द कर सकते हैं। सामग्री की डिलीवरी के लिए निर्धारित की गई तिथियों तक सामग्रियों की सप्लाई कर पाने में बार-बार असफल रहने के परिणामस्वरूप निविदाकार को भविष्य में दरों संबंधी पूछताछ जारी करने पर रोक लगाई जा सकती है।
- 14. संविदा लागू रहने की अवधि में निविदाकार द्वारा सामग्री की डिलीवरी संबंधी समयसारणी का अनुपालन न करने के परिणाम स्वरूप, संदेहयुक्त गुणवत्ता तथा सामग्री की कम मात्रा में आपूर्ति के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की हानि होने की स्थिति में उस नुकसान की वसूली निविदाकार से की जाएगी तथा इसके साथ-साथ उसकी बयाना राशि/प्रितिभूति राशि जो संस्थान में जमा रखी होगी, जब्त कर ली जाएगी। निविदाकार द्वारा सामग्री की आपूर्ति करने संबंधी आदेश का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकार के ''रिस्क तथा जिम्मेदारी'' पर उक्त सामग्री खरीद सकें। इस प्रकार की खरीद के परिणामस्वरूप खरीद-लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति निविदाकार द्वारा संस्थान में जमा कराई गई बयाना राशि में से वसूली करके की जाएगी तथा/अथवा सफल निविदाकार के लंबित पड़े हुए बिल में से वसूल की जाएगी।

- 15. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उनका यह अधिकार भी सुरक्षित होगा कि वह किसी भी सफल निविदाकार/निविदाकारों को जारी किए गए आपूर्ति आदेश को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकते हैं।
- 16. शर्तों को लागू कराए जाने तथा/अथवा शर्तों में किसी प्रकार की छूट दिए जाने तथा निविदाओं को रद्द करने अथवा स्वीकार करने के संबंध में संस्थान के निदेशक, द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा और निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान , निविदाकारों द्वारा यहां उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने के कारण वहन की गई किसी प्रकार की क्षति/दायित्वों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।
- 17. सामग्री प्राप्त होने पर उसका निरीक्षण किए जाने के पश्चात सामग्री स्वीकार कर लेने तथा रसीदयुक्त बिल प्राप्त हो जाने पर बिलों का भुगतान रेखांकित चैक के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, आर.के.पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110022.शाखा के माध्यम से यथोचित अविध में कर दिया जाएगा। ब्याज आदि के संबंध में किसी शर्त आदि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली

सेवा में,			दिनांक	i
प्रिय महोदय, आपकी दिनांकः की दर सूची संख्याः के संदर्भ में निवेदन है कि कृपया अपनी उद्दृत दरों के अनुसार निम्नलिखित सामग्री की सप्लाई करने का कष्ट करें :				
क्रमांक	मद	मात्रा	दर	राशि
उक्त सामग्री पर स्थानीय बिक्री कर लागू होने की स्थिति में इसका अतिरिक्त भुगतान बिल में बिक्रीकर प्रमाणपत्र संबंधी अपेक्षित उल्लेख करने पर ही किया जाएगा।				
सामग्री की सप्लाई ताजे स्टॉक में से की जानी चाहिए तथा उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमी वाली/घटिया सामग्री को किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किया जाएगा।				
सामग्री की डिलीवरी उपर्युक्त पते पर तत्काल तथा बिना किसी प्रकार के डिलीवरी शुल्क के दिनांकः तक कर दी जानी चाहिए।				
सामग्री की सप्लाई करने पर तथा सप्लाई स्वीकृत कर लिए जाने के पश्चात कृपया भुगतान हेतु रसीदी टिकट युक्त बिल की तीन प्रतियां जिसमें ''भुगतान प्राप्त किया'' शब्द अंकित हो, इस संस्थान को भेजने का कष्ट करें, ताकि आपके बिल का भुगतान किया जा सके।				
				भवदीय,
			कृते निदेशक,	भण्डार अधिकारी, रास्वापक संस्थान,

	दिनांकः
सेवा में,	
	एस.डी.ओ., महानगर टेलीफोन निगम लि. नई दिल्ली-
विष यः	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के परिसर में लगे टेलीफोन कनेक्शन को ठीक करवाने के बारे में -
महोदय,	
से आप किन्तु,	निवेदन है कि, हमारे संस्थान के परिसर में लगा टेलीफोन नम्बर, दिन से ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। इस संबंध में टेलीफोन नम्बर 2198 के मरम्मत अनुभाग (शिकायत संख्याः) में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। उपर्युक्त टेलीफोन अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। अनुरोध है कि कृपया टेलीफोन न को तत्काल ठीक करवाने का कष्ट
	भवदीय,
	(कार्यशाला एवं अनुरक्षण अधिकारी)
प्रति प्रेपि	षेतः

	दिनांकः
सेवा में,	
विषयः टेलीफोन नम्बर को शिफ्ट करने के बारे	में -
महोदय,	
इस संस्थान के दिनांकः	सुरक्षित (सेफ कस्टडी में) निवास
टेलीफोन कनेक्शन शिफ्ट पर होने वाले खर्चे का भुगतान इस संस्थ	थान द्वारा किया जायेगा।
	भवदीय,
(कार्यश	ाला एवं अनुरक्षण अधिकारी)
सूचनार्थ प्रति प्रेषितः	
1	
2	
3	
4	

सेवा में,		दिनांकः
वाियः हाँ	ॉस्टल में ठहरने की व्यवस्था के बारे में -	
महोदय,		
संख्याः सूचनार्थ, ा प्रशिक्षणार्थि पाना हमारे	पर्युक्त विषय पर कृपया अपने दिनांकः का अवलोकन करने का कष्ट करें। निवेदन है कि आपके पत्र में जो अवधि लिखी गई है, उस दौर र्थयों से भरा रहेगा। इसलिए आपके लिए संस्थान के हॉस्टल में रे लिए संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृप ल्पेक व्यवस्था करने का कष्ट करें।	इस संबंध में आपकी रान हमारा हॉस्टल अपने ठहरने की व्यवस्था कर
स	धन्यवाद,	
		भवदीय,
		हॉस्टल प्रभारी

निदेशक	
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	
शुक्रवार ९ मार्च, सायं 4.00 बजे	
संस्थान के वार्षिक दिवस समारोह पर	
संस्थान के परिसर, न्यू महरौली रोड, मुनीरका,	
नई दिल्ली में आपको सादर आमंत्रित करते हैं।	
श्री	
(अध्यक्ष, प्रबन्ध निकाय, रास्वापकसं)	
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	
इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।	
प्रोफेसर	
सदस्य, योजना आयोग	
वार्षिक दिवस व्याख्यान देंगे।	
कार्यक्रम	
स्वागत भाषण एवं सस्थान के प्रमुख	प्रोफेसर
कार्यकलापों पर एक विहंगम दृष्टि	निदेशक, रास्वापक संस्थान
वार्षिक दिवस व्याख्यान	प्रोफेसर
पाषिक दिवस व्याख्यान	
	सदस्य, योजना आयोग
मुख्य अतिथि द्वारा अभिभाषण	श्री
	ा, प्रबन्ध निकाय, रास्वापकसं)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	स्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
	
धन्यवाद प्रस्ताव	प्रोफेसर
	रास्वाक संस्थान

जलपान

निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य अर्थ-व्यवस्था एवं प्रबंधन पर कार्यशाला के उद्घाटन समारोह पर आपको सादर आमंत्रित करते हैं।

बुद्धवार, 19 मार्च, को प्रातः 10.00 बजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली-110067 के शिक्षण खण्ड में किया जायेगा।

उत्तराकांक्षीः 26166562, 26150538

कार्यक्रम

स्वागत	प्रोफेसर निदेशक, रास्वापक संस्थान
कार्यशाला की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य	प्रो समन्वयकर्ता .
उद्घाटन भाषण	ৰা
धन्यवाद प्रस्ताव	श्री

जलपान

टिप्पणियां/Notes

1.	श्री
2.	श्री ने दो मास की अर्जित छुट्टी मांगी है, जो उनके खाते में जमा है। उनकी जगह किसी एवजी की मांग भी नहीं की गई है। अतः छुट्टी मंजूर कर दी जाए। कार्यलय आदेश का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।
3.	श्री के समसंख्यक ज्ञापन द्वारा दिनांकः से दिनांकः तक अर्जित छुट्टी मंजूर की गई थी, अपने काम पर दिनांकः को हाजिर हो गए हैं।
4.	निदेशक महोदय श्री की पुनर्नियुक्ति के बारे में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विचार करें।
5.	वित्त मंत्रालय से कृपया पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया जाए।
6.	आवेदन-पत्र ठीक लगता है। मंजूरी के मसौदे के अनुसार आवश्यक अनुज्ञा देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
7.	ऐसी स्थिति में हम पृष्ठ 5/ पत्राचार पर रखे पत्र का अधिक्रमण करते हुए एक परिशोधित आदेश जारी कर दें।
8.	आवेदनकर्ता को सूचित कर दिया जाये कि सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्तियां उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाती हैं, जो रोजगार कार्यालय की मार्फत आते हैं
9.	उसे सूचित कर दिया जाये कि यदि उसने अपना नाम अभी तक अपने पास के किसी रोजगार कार्यालय में दर्ज न कराया हो तो अब दर्ज करा लें।
10.	उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कर लिया गया है और उसे संतोषजनक पाया गया है।
11.	श्री के पेंशन संबंधी कागज तैयार हो गए हैं। इनको आवश्यक कार्यवाही के लिए लेखा अनुभाग को भेज दिया जाये।

12. स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक से अनुरोध किया जाए कि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा दूसरा पहचान कार्ड जारी कर दें।	का
13. पटेल दो जून 18.10 बजे कोलकाता पहुँच रहे हैं। हवाई अड्डे पर मिलें।	
14. निदेशक बीस को सुबह लखनऊ एक्सप्रेस से रामपुर पहुँच रहे हैं।	
15. समिति की बैठक रास्वापकसं में 21 और 22 के बजाए 22 और 23 को होगी।	
16. पुटि कीजिए क्या सम्मेलन में आमंत्रित सभी प्रतिनिधियों से स्वीकृति आ गई है।	
17. सूचित कीजिए क्या श्री ट्रेनिंग कोर्स में दाखिल कर लिए गए हैं	l
18. निर्देशानुसार संस्थान में मंजूर हुए अस्थायी और स्थायी पदों की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा फा में संलग्न है।	इल
19. दिनांक सेतक की सेवा का, वेतन बिलों की कार्याल ातियों के आधार पर, सत्यापन कर लिया गया है।	य प्र
20. बिल का सत्यापन कर लिया गया है। यह ठीक है। भुगतान के लिए पारित किया जाए।	
21. करार के अनुसार जमानत राशि की अवधि पूरी हो चुकी है। जमानत राशि लौटा दी जाए। रर भुगतान के लिए पास कर दी गई है।	ऩीद
22. बिल निम्नलिखित आपत्तियों के साथ वापस किया जाता है:	
23. नीचे लिखे अधिकारी का वर्ष का सामान्य भविष्य निधि लेखे का विव साथ में भेजा जा रहा है। यह अनुरोध है कि इस विवरण को निकाल लिया जाए और उसका वती वाला हिस्सा यथाविधि भरकर इस अनुभाग को लौटा दिया जाये।	
24. जलपान संबंधी चार बिल नीचे रखे हैं। वे सब ठीक हैं। उनके भुगतान करने की स्वीकृति दे जाए।	दी
25. पुराने रिकार्ड से पड़ताल कर ली गई है कि दिनांक के र्व नम्बर का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।	बेल
26. विवरण की पड़ताल कर ली गई है। लागत 500 रू. आती है। यह अनुसूची-मद है और ठीक दर गणना में मामूली त्रुटि थी जो इस कार्यालय में ठीक कर दी गई है।	है।

27.	इसमें जो खर्च होगा वह शीर्ष पर प्रभार्य है।
28.	श्री ने अपनी बीमारी के खर्च के लिए सामान्य भविय निधि से दो सौ रूपये निकालने की प्रार्थना की है। उनका आवेदन नियमानुकूल है। इसे स्वीकार कर लिया जाए।
29.	जिस (जिन) ट्रंक काल (कालों) का बिल प्राप्त हुआ है, वह (वे) घर/दफ्तर के टेलफोन संख्या
30.	इस संस्थान के श्री को क्वार्टर संख्याः का आबंटन किया गया है। इस सिलसिले में वह कृपया यह बतायें कि क्या उन्हें यह आबंटन स्वीकार है।
31.	यदि सरकार के हितों की रक्षा के लिए यथेट सावधानी बरती जाती, तो यह व्यर्थ खर्च न हुआ होता।
32.	इस राशि को बट्टे खाते में डालने से पहले जिम्मेदारी निर्धारित करना जरूरी होगा।
33.	यह राशि अब वसूल होने योग्य नहीं रही। इसे बट्टे खाते में डाल दिया जाए।
34.	
35.	
36.	अनुभाग द्वारा मांगा गया फर्नीचर इस समय भण्डार में नहीं है। हम उसको खरीदने के लिए लगभग आधा दर्जन प्रख्यात फर्मों से भाव मंगा लें।
37.	इस कमरे की दो कुर्सियों में बेंत फिर लगनी हैं। यह काम जल्दी करा लिया जाए।
38.	उप-निदेशक की कार्यालय-मेज में कुछ मरम्मत होनी है। बढ़ई को उसे ठीक करने को कह दिया जाए।
39.	हमारे पास स्टॉक में दो टायर बचे हैं। 30 ट्यूब और 30 टायर खरीदने के लिए आवश्यक कार्य वाही की जाए।

40.	कमरा नं. 265 में कृपया एक बिजली की घंटी लगवा दी जाए।
41.	श्री ने इस कार्यालय में आज कार्यभार संभाला है। हम सुरक्षा अधिकारी को कहें कि उनको एक महीने के लिए अस्थायी पास जारी कर दें।
42.	इस कार्यालय में ऐसे अनेक कमरे हैं जिनमें लोहे की छड़ें नहीं लगी हैं। लेखन-सामग्री की अनेक वस्तुएं, फार्म, महत्वपूर्ण कागज-पत्र, मिसिलें इत्यादि उन कमरों में असुरक्षित रखी हुई हैं। ऐसे कमरों से वस्तुओं की चोरी हो जाने का जोखिम सदैव रहता है।
43.	कृपया परिसर (जगह) का निरीक्षण कर लें तथा कमरों की मरम्मत और संलग्न टिप्पणी में उल्लिखित अन्य काम कराने का प्रबंध करें।
44.	कृपया देख लें और प्रमाणित कर दें कि वे सभी समाचार पत्र पत्रिकाएं जिनका उल्लेख साथ लगे बिल में हैं मास में आई थी। इसे कृपया 'तुरंत' समझा जाये।
45.	यह प्रमाणित किया जाता है कि खरीद बाजार के न्यूनतम भाव पर की गई है।
46.	में प्रमाणित करता हूं कि जिस आवास के लिए मैंने मकान किराये भत्ते का दावा किया है उसका कोई भाग न किराये पर दिया गया है और न उसमें आम तौर पर मेरे परिवार वालों के अलावा कोई दूसरा व्यस्क रहता है।
47.	कमरे संख्याः काफी गन्दे हो गये हैं। इनमें सफेदी कराने का प्रबन्ध शीघ्र कर दिया जाएं।
48.	समिति कक्ष की खिड़कियों के कई शीशे टूटे पड़े हैं। इनकी जगह दूसरे शीशे लगवा दिए जाए।
49.	हमारी घंटी काम नहीं कर रही है। कृपया इसे शीघ्र ठीक करवा दें।
50.	श्री को, जिनके पहचान कार्ड की संख्याः है, अधिकार दिया गया है कि वह अधोलिखित सरकारी वस्तुएं संस्थान के परिसर के बाहर ले जा सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

विभागों/अनुभागों तथा पदनामों के अंग्रेजी-हिन्दी नाम

Nomenclature of Departments/Sections & Designations

Director's Office निदेशक कार्यालय Dean Office डीन कार्यालय

Deputy Director (Admn.) Office उप-निदेशक (प्रशा.) कार्यालय

विभाग/Departments

Canteen

Community Health Administration सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन

Communication संचार

Education and Training शिक्षा एवं प्रशिक्षण

Epidemology जानपदिक रोगविज्ञान/एपीडेमियोलॉजी Medical Care & Hospital Administration चिकित्सकीय देखरेख एवं अस्पताल प्रशासन

Planning and Evaluation योजना एवं मूल्यांकन

Population, Genetics & Human Development. जनसंख्या, आनुवंशिकी एवं मानव विकास

Reproductive Bio-medicine प्रजनन जैव चिकित्सा Social Sciences समाज विज्ञान

Statistics and Demography सांख्यिकी एवं जनांकिकी

Management Sciences प्रबन्ध विज्ञान National Documentation Centre राष्ट्रीय_प्रालेखन केन्द्र

अनुभाग एवं एकक/Sections and Units

Academic Section अकादिमिक अनुभाग
Accounts Section लेखा अनुभाग
Administration Section प्रशासन अनुभाग
General Administration Section सामान्य प्रशासन अनुभाग

Hindi Cell हिन्दी कक्ष Stores Section भण्डार अनुभाग

Workshop & Maintenance Section कार्यशाला एवं अनुरक्षण अनुभाग

Project Cell परियोजना कक्ष Receipt & Issue Unit प्राप्ति एवं प्रेषण यूनिट Computer Centre कम्प्यूटर केन्द्र Hostel हॉस्टल

कैंटीन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

भवन खण्डों के नाम

Administrative Block प्रशासनिक खण्ड Academic Block अकादिमक खण्ड Display Hall प्रदर्शन कक्ष Animal House जन्तुशाला

Animal House जन्तुशाल Incinerator निर्दाहक

Air-conditioning Plant वातानुकूलन संयत्र

Clinic/Hospital Block क्लिनिक/अस्पताल खण्ड

Electricity sub-station विद्युत उप-केन्द्र

National Documentation Cetnre राष्ट्रीय प्रालेखन केन्द्र खण्ड

Block.

Teaching Block
Cafeteria
Workshop Block
Hostel Block
Guest House
Sixta खण्ड
अतिथि गृह

Residential Complex आवासीय परिसर

Pump House पम्प घर

Underground Water Tank भूमिगत जलाशय

DESIGNATION

Director Dean Professor

Deputy Director (Admn.) Associate Professor Assistant Professor

Senior Documentation Officer

Research Officer Medical Officer Technical Officer Accounts Officer Section Officer Stores Officer Health Educator

Librarian

Training Officer

Assistant Director (O.L.)

Workshop & Maintenance Officer

Assistant Research Officer

Stenographer Photographer Senior Artist Sub-editor

Senior Technical Assistant Cameraman (Microfilming) Silkscreen Technician Senior Public Health Nurse

Accountant Assistant

Senior Draftsman Research Assistant Senior Machine Operator Public Health Nurse Offset Press Operator Cameraman-cum-plate maker

I.B.M. typewriter Operator
Technical Assistant (Production)

Technical Assistant (AV) Transport Supervisor Assistant Librarian पदनाम

निदेशक डीन प्रोफेसर

उप-निदेशक (प्रशा.) सह प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर

वरिष्ठ प्रालेखन अधिकारी अनुसंधान अधिकारी चिकित्सा अधिकारी तकनीकी अधिकारी लेखा अधिकारी अनुभाग अधिकारी भण्डार अधिकारी स्वास्थ्य शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष

प्रशिक्षण अधिकारी सहायक निदेशक (राजभाषा) कार्यशाला एवं अनुरक्षण अधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी

आशुलिपिक फोटोग्राफर वरिष्ठ कलाकार उप-संपादक

वरिष्ठ तकनीकी सहायक कैमरा मैन (माइक्रोफिल्मिंग) सिल्क स्क्रीन तकनीशियन वरिष्ठ पब्लिक हैल्थ नर्स

लेखापाल सहायक

वरिष्ठ प्रारूपकार/ड्राफ्टमैन
अनुसंधान सहायक
वरिष्ठ मशीन प्रचालक
पब्लिक हैल्थ नर्स
ऑफसैट प्रेस प्रचालक
कैमरा मैन एवं प्लेट मेकर
आई.बी.एम.टाइपमशीन प्रचालक
तकनीकी सहायक (अत्पादन)
तकनीकी सहायक (श्रव्य-दृश्य)
परिवहन पर्यवेक्षक

Junior Hindi translator Electrical Supervisor

Theatre Sister Stores Keeper Caretaker Hostel Warden

Wireman-cum-mechanic (Electrician)

Mechanic

Laboratory technician Machine Operator Data Entry Operator

Lady Health Visitor (LHV)

Draftsman

Graining Machine Operator-cum-plate

maker

Zerox Operator Projectionist

Upper Divisional Clerk

Upper Division Clerk-cum-Cashier

Receptionist Junior Artist Proof reader

Lower Division Clerk

Hindi Typist

Assistant Stores Keeper Assistant Projectionist Addressograph Operator

Feeder Copy Holder Library Attendant

Driver Carpenter

Senior Gestether Operator

Plumber Book Binder Inkman

Field Attendant Clinic Attendant

Junior Gestetner Operator Library Attendant (Junior)

Daftry Packer Cleaner कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

विद्युत पर्यवेक्षक थियेटर सिस्टर भण्डारी

अवधायक/केयर टेकर

हॉस्टल वार्डन

वायरमैन एवं मेकैनिक (इलैक्ट्रिशियन)

मेकैनिक

प्रयोगशाला तकनीशियन

मशीन प्रचालक

डाटा प्रविष्टि प्रचालक

लेडी हैल्थ विजिटर (एल.एच.वी.)

प्रारूपकार/ड्राफ्टमैन

ग्रेनिंग मशीन प्रचालक एवं प्लेट मेकर

जिरोक्स-प्रचालक

प्रक्षेपक

उच्च श्रेणी लिपिक

उच्च श्रेणी लिपिक एवं रोकडिया

स्वागती

कनिष्ठ कलाकार

प्रूफ-रीडर

अवर श्रेणी लिपिक हिन्दी टाइपिस्ट सहायक भण्डारी सहायक-प्रक्षेपक पतालेखी प्रचालक

फीडर

मूल वाचक/कापी होल्डर पुस्तकालय परिचर

ड्राइवर बढर्ड

वरिष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक

नलसाज़ जिल्द साज इंकमैन क्षेत्र परिचर क्लिनिक परिचर

कनिष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक पुस्तकालय परिचर (कनिष्ठ)

दफ्तरी पैकर क्लिनर Cook

Assistant Cook

Assistant Cook-cum-Bearer

Bearer

Class Room Attendant

Room Attendant Masalchi

Peon Frash

Sweeper

Animal Attendant

Mali

Processing Attendant

Helper Offset

रसोइया

सहायक रसोइया

सहायक रसोईया एवं बैरा

बैरा

कक्षा परिचर कक्ष परिचर मसालची

चपरासी फराश

स्वीपर/सफाई कर्मचारी

पशु-परिचर माली

प्रोसेसिंग परिचर ऑफसेट हैल्पर